

आयकर विभाग प्रस्तुत करता है

विवाद से विश्वास स्कीम 2024

विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान हेतु



शामिल किए गए विवाद

निम्नलिखित से संबंधित सभी विवाद (कुछ अपवादों के अधीन):

- कर • पेनाल्टी • ब्याज • शुल्क • टीडीएस अथवा टीसीएस

पात्रता

- ऐसी अपील जो दिनांक 22.07.2024 को या उससे पहले दर्ज की गई है और दिनांक 22.07.2024 तक लंबित है।
- करदाता जिन्होंने विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष आपत्तियां दर्ज की हैं और डीआरपी ने 22.07.2024 को या उससे पहले कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।
- करदाता जिनके मामले में डीआरपी ने निर्देश जारी किए हैं, किंतु असेसिंग ऑफिसर ने 22.07.2024 को या उससे पहले तक असेसमेंट पूरा नहीं किया है।
- करदाता जिन्होंने अधिनियम की धारा 264 के अंतर्गत रिवीजन के लिए आवेदन दाखिल किया है और ऐसा आवेदन 22.07.2024 तक लंबित है।

मुख्य तिथियां

अपील के निपटान हेतु कम राशि का भुगतान करने के लिए **31.12.2024** को या उससे पहले विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत अपनी घोषणा दाखिल करें। दिनांक **01.01.2025** को या उसके पश्चात घोषणा दाखिल करने पर निपटान हेतु अधिक राशि का भुगतान करना होगा।

स्कीम संबंधी अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाकर विभाग द्वारा जारी **FAQ** को देखें।



FAQs के लिए



आयकर विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड



वेबसाइट के लिए